

(१६६१)
९

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

कमांक.....135...../

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक ०१/११/२०२३

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-408 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालयों में अंतरित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं सूची कमांक	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अक्षत तायल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	SC NIA Case No.-01-200	श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा
2.	श्रीमती पद्मिनी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	SC NIA Case No.-01-100 SC NIA Case No.-101-200	श्रीमती मीनल गजबीर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा
3.	सुश्री अदिति अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रीवा	SC NIA Case No.-01-200	

SID
(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)

पृष्ठांकन क०.....4919/

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक ०१/११/२०२३

प्रतिलिपि:-

- श्री अक्षत तायल JMFC रीवा/श्रीमती पद्मिनी सिंह JMFC रीवा/श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री JMFC रीवा/सुश्री अदिति अग्रवाल JMFC रीवा/श्रीमती मीनल गजबीर JMFC रीवा/को निर्देशित किया जाता है कि सूची अनुसार प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय से प्राप्त/प्रेषित करना/सुनिश्चित करें।
- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म०प्र०)।
- श्री वीरेंद्र सिंह बघेल पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ रीवा का पत्र दिनांक-26.10.2023 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- जे०एस०ए०/डी०एस०ए० की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)